राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 31-10-19

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान	सिविल मामलों के लिए क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, ब्यावर	अजमेर	ब्यावर	राजस्व जिला अजमेर
2.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, बहरोड़	अलवर	बहरोड़	राजस्व जिला अलवर
3.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, तिजारा	अलवर	तिजारा	राजस्व जिला अलवर
4.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, राजगढ़	अलवर	राजगढ़	राजस्व जिला अलवर
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़	अलवर	रामगढ़	राजस्व जिला अलवर
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी	अलवर	भिवाड़ी	राजस्व जिला अलवर
7.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	राजस्व जिला बाड़मेर
8.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, कोटपूतली	जयपुर	कोटपूतली	राजस्व जिला जयपुर
9.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद	कोटा	दीगोद	राजस्व जिला कोटा

नोट:- वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर, तिजारा, राजगढ़, बाड़मेर, कोटपूतली का नाम परिवर्तित कर क्रमश: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, ब्यावर, तिजारा, राजगढ़, बाड़मेर, कोटपूतली निर्धारित करती है। उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया

संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

25.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सैशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, अजमेर/अलवर/ बाड़मेर/जयपुर/ कोटा ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव